



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक - ०५

/प्रवर्तन जोन-8/2017

दिनांक - 14-12-17

सेवा में,

मै0 सुपर रियल टैक प्रा0 लि0

द्वारा डायरेक्टर श्री यतेन्द्र गुप्ता

ए-191, सूरजमल विहार,

दिल्ली-110092

विषय:- पार्ट सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मै0 सुपर रियल टैक प्रा0 लि0 द्वारा खसरा सं0-2047 से 2054 तक व 2115 से 2117 तक ग्राम-बेहटा हाजीपुर की भूमि पर निर्माणाधीन गुप हाउसिंग आक्सी होम के टावर ब्लॉक-ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई व जे हेतु आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 08.12.17 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

शर्त:-

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संसोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्नि शमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचन बद्धताओं का अनुपालन करना होगा। किसी भी शपथ-पत्र /वचन बद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत डिक्लेयरेशन का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
9. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा।
10. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार समय-समय पर परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।

संलग्नक:-प्रस्तुत आवेदन पत्र के भाग-(ब्लॉक-ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई व जे) के शैडूल (अ) (ब) व स की फोटो प्रति साथ में संलग्न है।

एस. 14/12/17
अवर अभियन्ता

राकेश कुमार
अवर अभियन्ता

14/12/17
(रणवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-8



**SUPER
Realtech**

Pvt. Ltd. ISO 9001-2008

CIN No.-U70102DL2007PTC159009

Date:-27/03/2018

To,
A.E. (Enforcement Division)
Zone-8
Ghaziabad Development Authority
Ghaziabad.

Sub:- Regarding final completion of group housing "ONY HOMES" at Kh. No. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2115, 2116 & 2117 Village Behla Hazipur, Ghaziabad.

Owner:- M/s. Super Realtech Pvt. Ltd.

Sir,

We are applying for final completion for Block-O, X, Y, Convenient shop & Community/School and submitting the required document for the same.

You are requested to please issue us a completion certificate.

Thanking you


Yashender Gupta
(Director)

Enclosed:-

1. Completion form
2. One set drawing
3. Compounding map & letter
4. Rain water harvesting & Supervision certificate of Architect (original)
5. Air force Hindan NOC
6. Pollution deptt. NOC
7. Lib NOC
8. Electrical dept. NOC
9. Rera registration certificate
10. Director ID proof
11. *Completion deposit Slip*


Site Office : OXY Homez, New Dilshad Ext. Near Koyal Enclave, Bhopura Tilla More Road, Ghaziabad (U.P.)
Ph. : 8860444501

Office : 4 Savita Vihar, Main Road, Delhi 110092 Ph.: 011- 40008888 (100 Lines)

मौ० नं०



VIJAYA BANK

35, नवयुग मार्केट गाजियाबाद यू.पी.-201001

आवंटी की प्रति

खाता नं: 711301011003105

दिनांक 27/3/18 I.D. No. _____

भवन/भूखण्ड संख्या २५६१६११६

योजना का नाम 25/1 योजना कोड

आवंटी का नाम व पता

उत्तर 14 अ द

5/2/2019 11:57 AM

दिनांक

विवरण	धनराशि
1. भवन/भूखण्ड की किस्त	
2. दण्ड व्याज	
3. लीज किराया	
4. फी होल्ड	
5. सीवर शुल्क	
6. विकास/अनिर्माण शुल्क	
7. हस्तान्तरण शुल्क/निम दर्जा	
8. अन्य शुल्क	
9. <i>अपेक्षा</i>	<i>500</i>
योग	

घनराशि (शब्दों में) पाँच ही हैं

नकद ड्राफ्ट संख्या _____

दिनांक 27-3-18

निर्गत बैंक

प्रभाकर्ता के हस्ताक्षर

रोकाडिया

प्रवर्धक

Deposit alone will not accrue any right to allottee/depositor



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक - 07

/प्रवर्तन जोन-8/2017

दिनांक - 20-06-2018

सेवा में,

मै0 सुपर रियल टैक प्रा0 लि0

द्वारा डायरेक्टर श्री यतेन्द्र गुप्ता

ए-191, सूरजमल विहार,

दिल्ली-110092

विषय:- सम्पूर्ण सम्पूति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मै0 सुपर रियल टैक प्रा0 लि0 द्वारा खसरा सं0-2047 से 2054 तक व 2115 से 2117 तक ग्राम-बेहटा हाजीपुर की भूमि पर निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग आक्सी होम के टावर ओ, एक्स, वाई, स्कूल ब्लॉक, कन्वीनियेंटशॉप व कम्यूनिटी सेंटर हेतु सम्पूर्ण सम्पूति प्रमाण-पत्र जारी करने की उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 13.06.18 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

शर्त:-

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत मानचित्र व संसोधित स्वीकृत मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्नि शमन उपकरणों को सदैव कियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निर्माणकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5. आवेदक/निर्माणकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचन बद्धताओं का अनुपालन करना होगा। किसी भी शपथ-पत्र /वचन बद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत सम्पूर्ण सम्पूति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत डिक्लेयरेशन का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. वाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन व वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
9. नियमानुसार आर0डब्ल्यू0ए0 के गठन एवं आर0डब्ल्यू0ए0 को सभी सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण डेवलपर द्वारा ही कराया जायेगा।
10. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार समय-समय पर परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।

संलग्नक:-प्रस्तुत आवेदन पत्र के भाग-(ब्लॉक-ओ, एक्स, वाई, स्कूल ब्लॉक, कन्वीनियेंटशॉप व कम्यूनिटी सेंटर) के शैडूल (ब) की फोटो प्रति साथ में संलग्न है।

एस. के. श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता

राकेश कुमार
अवर अभियन्ता

20/06/18
(रणवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-8

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र:
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटोकापी पर जारी किया जाए)

भौपुरा टीला रोड पर वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित खसरा सं०-2047 से 2054 तक और 2115 से 2117 तक ग्राम-बेहटा हाजीपुर, परगना लोनी पर निर्मित ऑक्सी होम ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री राकेश कुमार व श्री एस०के० श्रीवास्तव (अवर अभियन्ता) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.12.17 व 13.06.18 को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक

हस्ताक्षर
रणवीर सिंह
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-8

संलग्नक:-

1. प्रपत्र ब की प्रतियां टावर ओ०, एक्स० व वाई० स्कूल ब्लॉक, कन्वीनियेंटशॉप व कम्युनिटी सेंटर।
2. शर्त सम्बन्धी प्रपत्र पत्रांक सं०-04/प्रवर्तन जोन-8/2017 दिनांक 14.12.17 व पत्रांक-.....०७/प्रवर्तन जोन-8/2018 दिनांक 20.06.18
3. टावर ऐ से जे तक व ओ०, एक्स०, वाई० तथा स्कूल ब्लॉक, कन्वीनियेंटशॉप व कम्युनिटी सेंटर के मानचित्रों की प्रतियां।

Rakesh
20/06/18
राकेश कुमार
अवर अभियन्ता

एस. के. श्रीवास्तव
एस. के. श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता